न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 84/09 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2009/00016

अनवान्

1. श्री चांद मोहम्मद पिता अब्दूल मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली। मृतक
1/1 श्रीमती शाइदा पुत्री चान्द मोहम्मद पत्नी दिलदार मोहम्मद मुसलमान निवासी जिंक स्मेल्टर तहसील गिर्वा।
1/2 श्रीमती जेबुन पुत्री चान्द मोहम्मद पत्नी अनवर मुसलमान निवासी सीमेन्ट फैक्ट्री तहसील मावली।
1/3 श्रीमती खेरून पुत्री चान्द मोहम्मद पत्नी मंसुर मुसलमान निवासी बान्सी बोइडा हाल करावली तहसील सलुम्बर।
1/4 श्री हाफिज पिता चान्द मोहम्मद मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।
1/5 श्री ईशाक पिता चान्द मोहम्मद मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।
1/6 श्रीमती बशीरन पत्नी चान्द मोहम्मद मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती रेहमत बेगम पत्नी ईस्माइल मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली। तर्क किया।
2. श्री सफी मोहम्मद उर्फ बाबु पिता ईस्माइल मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।
3. श्री अयुब मोहम्मद पिता ईस्माइल मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।
4. श्री सदीक मोहम्मद उर्फ कल्लू पिता ईस्माइल मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।
5. श्री अंसार मोहम्मद पिता ईस्माइल मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।
6. श्री लियाकत पिता चान्द मोहम्मद मुसलमान निवासी फतहनगर तहसील मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 06.06.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चंगेडी तहसील मावली में स्थित आराजी नम्बर 442 रकबा पौने [illegible] बीघा भूमि का प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि विवादित भूमि का प्रार्थी अकेला ही खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के आधिपत्य में हैं। प्रार्थी ही उक्त जमीन में खेती कर रहा हैं। विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि जो उसके आधिपत्य में है उसमें विपक्षीगण अनावश्यक हस्तक्षेप करते है जबकि उनका किसी प्रकार कोई हक नहीं है। प्रार्थी के उक्त भूमि पर विपक्षीगण जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से दिनांक 16.04.09 को ट्रेक्टर लेकर आये, मुझे पता लगने पर मैं मौके पर गया, मुझे देखकर विपक्षीगण भाग गये एवं ट्रेक्टर वालो से पूछा कि तुम मेरी जमीन में क्यों आया है तो ट्रेक्टर वालों ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह जमीन आपकी है और वह मुझसे माफी मांगकर खेतो से बाहर चला गया और भविष्य में खेत पर नहीं आने का कहा। विपक्षीगण जनबल एवं धनबल के आधार पर जबरदस्ती मेरे खाते की जमीन जो मेरे अधिकार व कब्जे में है जिस पर कब्जा करना चाहते है इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक हैं।
3. यह कि प्रार्थी का विपक्षीगण के विरूद्व मजबूत प्राइमाफैसी केस है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अगर विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी अधिकार आधिपत्य की भूमि पर कब्जा कर लेगें, हस्तक्षेप करेगे तो प्रार्थी शांतिपूर्वक काश्त नहीं कर सकेगा इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, यह कार्य स्वयं विपक्षीगण, नौकर चाकर एजेन्ट परिजन, परिवारजन से नहीं करे, न करावें। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।
4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 का नाम पूर्व में तर्क किया जा चुका हैं। विपक्षी सं. 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा चंगेडी तहसील मावली की आराजी नम्बर 442 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्वीकार है किन्तु यह अस्वीकार है कि प्रार्थी इस भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं जबकि वास्तविकता यह है कि इस आराजी संख्या 442 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई भी हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं। यह भूमि सहवन से चांद मोहम्मद (प्रार्थी) के नाम अंकित है। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा झूठा है कि प्रार्थी उक्त भूमि में खेती कर रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 2 से 4, 6 एवं सद्दीक मोहम्मद के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है तथा ये ही इस भूमि में समस्त काश्त का कार्य करते है। उक्त भूमि उत्तरदाता विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है तथा प्रार्थी का यह कथन सर्वथा झूठा है कि इस भूमि में विपक्षीगण अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते है। उक्त भूमि पर कब्जा ही विपक्षी संख्या 2 से 4, 6 व सद्दीक मोहम्मद का हैं। विपक्षीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से दिनांक 16.04.2009 को ट्रेक्टर लेकर आना, प्रार्थी को पता लगने पर मौके पर आना, प्रार्थी को देखकर विपक्षीगण का भाग जाना, ट्रेक्टर वाले को प्रार्थी द्वारा यह कहना कि वह इस जमीन में क्यों आया है तथा बाद में ट्रेक्टर वाले द्वारा माफी मांगकर खेत से बाहर चले जाना एवं भविष्य में नहीं आने बाबत् कहना आदि कथन प्रार्थी ने जानबुझकर सर्वथा मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं।

5. यह कि विपक्षीगण द्वारा जनबल एवं धनबल के आधार पर इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहना, विपक्षीगण का अधिकार नहीं होना, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक होना आदि कथन प्रार्थी ने जानबुझकर मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं। प्रार्थी का मजबूत प्राईमाफैसी केस होना तो दूर, प्रार्थी का कोई केस ही नहीं हैं। सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना, प्रार्थी द्वारा शांतिपूर्वक काश्त नहीं कर सकना आदि कथन प्रार्थी ने जानबुझकर मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं। प्रार्थी उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

6. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 मृतक के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं स्वयं प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 के आगे मृतक की संज्ञा देते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी मृतक के विरूद्व कोई भी वाद पत्र अथवा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मात्र इस कानूनी बिन्दु के आधार पर ही निरस्त योग्य हैं। विपक्षी संख्या 5 को शरीफ मोहम्मद उर्फ बल्लू बताया गया है जबकि विपक्षी संख्या 3, 4 एवं 6 के इस नाम का कोई भी भ्राता नहीं हैं। इस कारण भी प्रार्थी द्वारा जानबुझकर गलत विपक्षीगण को बनाये जाने से यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या 3, 4, 6 के एक भ्राता श्री सद्दीक मोहम्मद हैं।

7. यह कि इस प्रकरण में प्रार्थी ने जानबुझकर गलत एवं सफेद झूठ कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 से 4, 6 एवं श्री सद्दीक मोहम्मद की भूमि को हडपने की नियत से प्रस्तुत किया है क्योंकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

4, 6 एवं श्री सद्दीक मोहम्मद के पिता स्वर्गीय श्री इस्माईल जी आपस में सगे भाई है तथा अब्दुल रहमान जी की संताने है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4, 6 से सम्बन्धित वंश वृक्ष निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है :–

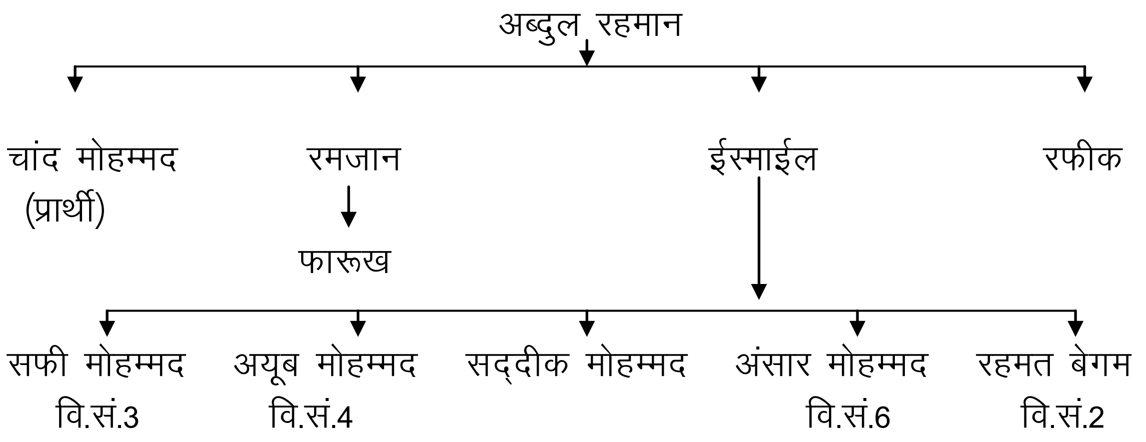

उपरोक्त सजरे के अनुसार अब्दुल रहमान जी मूल पुरूष थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। श्री अब्दुल रहमान जी के 4 पुत्र चांद मोहम्मद, रमजान, ईस्माईल एवं रफीक हुए, जिसमें चांद मोहम्मद स्वयं प्रार्थी हैं। रमजान जी का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका पुत्र फारूख है। ईस्माईल जी का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके 4 पुत्र विपक्षी संख्या 3, 4, 6 एवं सद्दीक मोहम्मद तथा स्वर्गीय इस्माईल की पत्नी विपक्षी संख्या 2 मौजूद है। स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी के 4 पुत्रीयां श्रीमती शरीफन, श्रीमती शमा बेगम, श्रीमती शहनाज एवं श्रीमती मेहनाज जीवित है।

8. यह कि प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में श्री सद्दीक मोहम्मद एवं स्वर्गीय इस्माईल की चारो पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी कानूनी बिन्दु के आधार पर निरस्त योग्य है। उक्त वर्णित आराजी श्री अब्दुल रहमान जी के समय से चली आ रही हैं। अब्दुल रहमान जी के जीवनकाल में ही अब्दुल रहमान जी ने अपने चारो पुत्रों सर्वश्री चांद मोहम्मद, रमजान, ईस्माईल एवं रफीक के बीच बंटवाडा कर सारी सम्पति का विभाजन कर प्रत्येक पुत्र को अलग–अलग सम्पति सुपुर्द कर दी थी। चूंकि इस बाबत् कोई लिखा–पढी चारो भाईयों के बीच मौजूद नहीं थी, जिससे दिनांक 27.03.74 को स्वर्गीय श्री अब्दुल रहमान जी ने अपने जीवनकाल में चारो पुत्रों की मौजूदगी में एक पारिवारिक समझौता पत्र की याददाश्त निष्पादित कर उस पर स्वयं की अंगुठा निशानी कर उस पर चारो पुत्रों के हस्ताक्षर करवा दिये, जिस पर प्रार्थी चांद मोहम्मद के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। उक्त पारिवारिक समझौता याददाश्त दिनांक 27.03.74 की कलम संख्या 4 में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी बाबत् इबारत निम्न प्रकार है कि ''साथ ही इसके काश्त की जमीन आराजी नम्बर 442 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

नामी खेजडावाला लाम्बेरिया (मसाणावाला) लगानी 2 रूपया 1 पैसा जो चांद मोहम्मद पिता हाजी अब्दुल रहमान जी के खाते चल रही है जिसका खाता नम्बर 347 गांव चंगेडी तहसील मावली का कहलाता है इस्माईल के हक में रहेगा''। उपरोक्त इबारत के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी के हिस्से में रखा गया था तथा सन् 1974 के पहले जब विभाजन किया गया तब इस भूमि का कब्जा स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी को उनके जीवनकाल में सुपुर्द कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी के जीवनकाल में उनका तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी विपक्षी संख्या 3, 4, 6 एवं सद्दीक मोहम्मद का कब्जा लगातार चला आ रहा है जिसको करीब 40 वर्ष का अरसा हो गया है। इन गत 40 वर्षों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के एक ईंच पर एक क्षण के लिए भी कब्जा नहीं रहा। भूमि पर काश्त का सारा कार्य अर्थात् फसल बोना, फसल से सम्बन्धित सारा कार्य करना, फसल पकने पर फसल को लाना आदि सारा कार्य विपक्षीगण द्वारा किया जाता रहा है इस बात को सम्पूर्ण संसार एवं प्रार्थी स्वयं अच्छी तरह से जानता है किन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम पर अंकित हो जाने मात्र से एवं वर्तमान समय में भूमि के दाम अत्यधिक बढ जाने से प्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गई है इसी वजह से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र उत्तरदाता विपक्षीगण को जलील एवं परेशान करने एवं नाजायज रूप से धन ऐठने की गरज से प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है।

9. यह कि उक्त वर्णित आराजी पर स्वर्गीय श्री ईस्माईल के जीवनकाल में उनका तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उत्तरदाता विपक्षीगण एवं सद्दीक मोहम्मद का कब्जा लगातार चला आता रहने से एवं इस तथ्य को प्रार्थी स्वयं तथा सम्पूर्ण संसार की जानकारी में होने से प्रार्थी पक्ष का आधिपत्य प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी परिपक्व हो चुका है जिससे प्रतिकूल आधिपत्य के आधार भी उत्तरदाता विपक्षीगण एवं सद्दीक मोहम्मद इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्त योग्य हैं।

10. यह कि पारिवारिक समझौता याददाश्त दिनांक 27.03.74 के आधार पर सारी सम्पतियों पर इस याददाश्त में अंकित सभी व्यक्ति अलग–अलग रूप से काबिज है तथा इसी आधार पर प्रार्थी स्वयं उसको जो सम्पति इस याददाश्त से मिली है, जो अब्दुल रहमान जी के समय की है, उन सभी सम्पतियों पर प्रार्थी स्वयं काबिज है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी सहवन से प्रार्थी अकेले के नाम अंकित हो गई। इसी कारण इस पारिवारिक समझौता याददाश्त दिनांक 27.03.74 में स्वर्गीय श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

अब्दुल रहमान जी ने निम्नांकित इबारत अंकित कराई कि ''इस खाते की रद्दोबदली ईस्माईल जी के नाम पर करवाना श्री हाजी चांद मोहम्मद जी के रहेगा जिसका खर्चा रद्दोबदली का ईस्माईल भरेगा।'' इस लिखापढी के पश्चात् स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी ने उनके जीवनकाल में तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उत्तरदाता विपक्षीगण ने कई बार प्रार्थी से इस भूमि को उनके नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने बाबत् निवेदन किया तो परिवार में प्रार्थी सबसे बडा व्यक्ति होने से सदैव यही कहता रहा कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह कभी भी मौका पाकर भूमि विपक्षीगण के नाम पर अंकित करवा देगा। प्रार्थी सदैव यही कहता रहा कि ''क्या वह कहीं भागा जा रहा है'' जब भी अवसर मिलेगा खाते करा देंगे। इसी कारण उत्तरदाता विपक्षीगण एवं उनके पिता श्री ईस्माईल जी ने प्रार्थी की नियत पर कभी संदेह नहीं किया एवं उन्हे परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मानने के कारण उन पर विश्वास करते रहे, जिससे यह भूमि विपक्षीगण के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हो सकी। किन्तु अब प्रार्थी की नियत खराब हो जाने से उसने राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज मात्र से यह वाद एवं यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो कि बेईमानी का एक ज्वलन्त उदाहरण हैं। विदित रहे कि इस भूमि का लगान 2.01 रूपये विपक्षीगण उनके स्वर्गीय पिता श्री ईस्माईल जी के जीवनकाल से जमा करवाते आ रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति का भूमि पर कब्जा होता है वहीं सदैव भूमि का भू–राजस्व राजकीय कोष में जमा करवाता है किन्तु प्रार्थी का इस भूमि पर आज तक कभी भी एक क्षण के लिए भी कब्जा नहीं रहा। इसी कारण से प्रार्थी ने कभी भी उक्त भूमि का भू–राजस्व जमा नहीं करवाया हैं।

11. **काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर** निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी श्री अब्दुल रहमान जी के समय से चली आ रही हैं। अब्दुल रहमान जी के जीवनकाल में ही अब्दुल रहमान जी ने अपने चारो पुत्रों सर्वश्री चांद मोहम्मद, रमजान, ईस्माईल एवं रफीक के बीच बंटवाडा कर सारी सम्पति का विभाजन कर प्रत्येक पुत्र को अलग–अलग सम्पति सुपुर्द कर दी थी। चूंकि इस बाबत् कोई लिखापढी चारो भाईयों के बीच मौजूद नहीं थी, जिससे दिनांक 27.03.74 को स्वर्गीय श्री अब्दुल रहमान जी ने अपने जीवनकाल में चारो पुत्रों की मौजूदगी में एक पारिवारिक समझौता पत्र की याददाश्त निष्पादित कर उस पर स्वयं की अंगुठा निशानी कर उस पर चारो पुत्रों के हस्ताक्षर करवा दिये, जिस पर प्रार्थी चांद मोहम्मद के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। उक्त पारिवारिक समझौता याददाश्त दिनांक 27.03.74 की वर्णित आराजी बाबत् इबारत है कि ''साथ ही इसके काश्त की जमीन आराजी नम्बर 442 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खेत नामी खेजडा वाला लाम्बेरिया (मसाणा वाला) लगानी 2 रूपया 1 पैसा जो [illegible] मोहम्मद पिता हाजी अब्दुल रहमान जी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

खाते चल रही है जिसका खाता नम्बर 347 गांव चंगेडी तहसील मावली का कहलाता है इस्माईल के हक में रहेगा।'' उक्त ईबारत के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी के हिस्से में रखा गया था तथा सन् 1974 के पहले जब विभाजन किया गया तब इस भूमि का कब्जा स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी को उनके जीवनकाल में सुपुर्द कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी के जीवनकाल में उनका तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी विपक्षीगण संख्या 3, 4, 6 एवं सद्दीक मोहम्मद का कब्जा लगातार चला आ रहा है जिसको करीब 40 वर्ष का अरसा हो गया हैं। भूमि पर काश्त का सारा कार्य अर्थात् फसल बोना, फसल से सम्बन्धित सारा कार्य करना, फसल पकने पर फसल को लाना आदि सारा कार्य विपक्षीगण द्वारा किया जाता रहा है इस बात को सम्पूर्ण संसार एवं प्रार्थी स्वयं अच्छी तरह से जानता है। किन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम पर अंकित हो जाने मात्र से एवं वर्तमान समय में भूमि के दाम अत्यधिक बढ जाने से प्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गई है इसी वजह से प्रार्थी ने यह वाद एवं यह प्रार्थना पत्र उत्तरदाता विपक्षीगण को जलील एवं परेशान करने एवं नाजायज रूप से धन ऐठने की गरज से प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य हैं।

12. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर स्वर्गीय श्री ईस्माईल के जीवनकाल में उनका तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उत्तरदाता विपक्षीगण एवं सद्दीक मोहम्मद का कब्जा लगातार चला आता रहने से एवं इस तथ्य को प्रार्थी स्वयं तथा सम्पूर्ण संसार की जानकारी में होने से विपक्षीगण का आधिपत्य प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी परिपक्व हो चुका है जिससे प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर भी उत्तरदाता विपक्षीगण एवं सद्दीक मोहम्मद इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। जिससे भी प्रार्थी का वाद पत्र एवं यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्त योग्य हैं।

13. यह कि पारिवारिक समझौता याददाश्त दिनांक 27.03.74 के आधार पर सारी सम्पतियों पर इस याददाश्त में अंकित सभी व्यक्ति अलग–अलग रूप से काबिज है तथा इसी आधार पर प्रार्थी स्वयं उसको जो सम्पति इस याददाश्त से मिली है, जो अब्दुल रहमान जी के समय की है, उन सभी सम्पतियों पर प्रार्थी स्वयं काबिज है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी सहवन से प्रार्थी अकेले के नाम अंकित हो गई। इसी कारण इस पारिवारिक समझौता याददाश्त दिनांक 27.03.74 में स्वर्गीय श्री अब्दुल रहमान जी ने निम्न इबारत अंकित कराई कि ''इस खाते की रद्दोबदली ईस्माईल जी के नाम पर करवाना श्री हाजी चांद मोहम्मद जी के रहेगा जिसका खर्चा रद्दोबदली का ईस्माईल भरेगा।'' इस [illegible] के पश्चात् स्वर्गीय श्री ईस्माईल जी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

उनके जीवनकाल में तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उत्तरदाता विपक्षीगण ने कई बार प्रार्थी से इस भूमि को उनके नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने बाबत् निवेदन किया तो परिवार में प्रार्थी सबसे बडा व्यक्ति है, वह कभी भी मौका पाकर भूमि विपक्षीगण के नाम पर अंकित करवा देगा। प्रार्थी सदैव यही कहता रहा कि ''क्या वह कहीं भागा जा रहा है'' जब भी अवसर मिलेगा खाते करा देंगे। इसी कारण उत्तरदाता विपक्षीगण एवं उनके पिता श्री ईस्माईल जी ने प्रार्थी की नियत पर कभी संदेह नहीं किया एवं उन्हे अपने परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मानने के कारण उन पर विश्वास करते रहे, जिससे यह भूमि विपक्षीगण के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हो सकी। किन्तु अब प्रार्थी की नियत खराब हो जाने से उसने राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज मात्र से यह वाद एवं यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो कि बेईमानी का एक ज्वलन्त उदाहरण हैं। विदित रहे कि इस भूमि का लगान 2.01 रूपये विपक्षीगण उनके स्वर्गीय पिता श्री ईस्माईल जी के जीवनकाल से जमा करवाते आ रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति का भूमि पर कब्जा होता है वहीं सदैव भूमि का भू राजस्व राजकीय कोष में जमा करवाता है किन्तु प्रार्थी का इस भूमि पर आज तक कभी भी एक क्षण के लिए भी कब्जा नहीं रहा इसी कारण से प्रार्थी ने कभी भी उक्त भूमि का भू राजस्व जमा नहीं करवाया हैं।

14. यह कि उक्त आधारों पर विपक्षीगण एवं सद्दीक मोहम्मद प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजी को अपने पक्ष में घोषित करवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थी की नियत खराब हो जाने से एवं प्रार्थी द्वारा यह वाद एवं यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने से उत्तरदाता विपक्षीगण को यह काउन्टर क्लेम प्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया जो इस काउन्टर क्लेम का बिनाय हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थी अब कुछ नाजायज व्यक्तियों तथा भू माफियों की वजह से उत्तरदाता विपक्षीगण की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है जिसके लिए वो आये दिन धमकियां दे रहा है कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वह इस भूमि को ओने–पोने दामों में किसी भी झगडालू व्यक्ति या भू–माफिया को बेच देगा। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है अन्यथा उत्तरदाता विपक्षीगण को भारी परेशानी एवं मुसीबत का सामना करना पडेगा तथा विपक्षीगण को अशोधनीय हानि होगी। जबकि प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन उत्तरदाता विपक्षीगण के पक्ष में हैं।

15. अन्त में निवेदन किया कि उत्तरदाता विपक्षीगण के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्व आज ही इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करी जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी प्रवेश नहीं करे एवं उत्तरदाता विपक्षीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे, न ही उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम किसी भी तरह से हस्तान्तरित करे।

16. **प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर** निवेदन किया कि विपक्षी ने जिस तरह उपरोक्त प्रार्थना पत्र के नहीं चलने का जो कथन किया है इस सन्दर्भ में यह जवाब है कि माननीय न्यायालय द्वारा ईस्माईल खां विपक्षी संख्या 1 का नाम हटाने का आदेश कर दिया हैं। विपक्षी संख्या 4 के बारे में जो कथन किया गया है उस बारे में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विपक्षीगण ने मरहूम ईस्माईल खां के पांच वारिस ही बताये है। इसलिए प्रार्थी ने सही पक्षकार बनाये हैं। प्रार्थी ने किसी की भी जमीन हडपने के लिए दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का एकमात्र खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण द्वारा ईस्माइल जी के चार पुत्रीयों के बारे में जो कथन किया गया है उस सन्दर्भ में निवेदन है कि मुझ प्रार्थी ने मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो–जो व्यक्ति प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे थे उन्ही के विरूद्व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जब ईस्माईल जी की पुत्रीयों ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं की है तो उनके विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं।

17. यह कि अब्दुल रहमान जी के जीवनकाल में अब्दुल रहमान जी ने किसी भी सम्पति का कोई बंटवाडा नहीं किया था, न ही दिनांक 27.03.1974 को कोई लिखापढी यथा पारिवारिक समझौता पत्र निष्पादित करवाया था जिस पारिवारिक समझौते का विपक्षीगण उल्लेख कर रहे है वह फर्जी हैं। वादग्रस्त आराजीयात कभी भी विपक्षीगण अथवा उनके पिता के कब्जे काश्त में नहीं रही हैं। विपक्षीगण मुझ प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते है इसलिए उन्होने इस तरह के गलत तथ्यों का उल्लेख किया हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रारम्भ से ही मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त में है और आज भी निरन्तर प्रार्थी ही काश्त कर रहा हैं। कि मरहूम इस्माईल खां अथवा उनके वारिसान का वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। जब कब्जा ही नहीं है तो प्रतिकूल कब्जे का कथन स्वयमेव निराधार हैं। विपक्षीगण किसी भी सूरत में खातेदार काश्तकार नहीं है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य हैं। जब प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई पारिवारिक समझौता निष्पादित ही नहीं किया गया है तो सभी व्यक्ति का सभी सम्पत्तियों पर अलग–अलग काबिज होना असंभव हैं। वादग्रस्त आराजीयात का अंकन प्रार्थी के नाम पर हुआ जो सही हुआ हैं। यदि विपक्षीगण का वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात पर कोई हक अधिकार हिस्सा होता तो विपक्षीगण ने इतने वर्षों तक वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम (खाते) कराने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इससे भी विपक्षीगण का कथन अपने आप में मिथ्या सिद्व हो रहा हैं। विपक्षीगण ने कब व किस दिनांक को प्रार्थी की भूमि को अपने नाम चढाने हेतु निवेदन किया उक्त दिनांक का भी विपक्षीगण ने कोई हवाला नहीं दिया हैं। प्रार्थी उम्रदराज व्यक्ति है विपक्षीगण प्रार्थी को परेशान कर उसे उसकी खातेदारी कृषि भूमि से वंचित कर अवैध रूप से उक्त भूमि को हडपना चाह रहे है जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

18. काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अब्दुल रहमान जी के समय में किसी भी प्रकार का सम्पति बाबत् कोई बंटवाडा नहीं हुआ था, न ही किसी प्रकार की लिखापढी इस बाबत् या अन्य बाबत् की गई थी। विपक्षीगण ने जिस लिखापढी का कथन किया है वह फर्जी हैं। न ही मुझ प्रार्थी ने इस प्रकार की कोई लिखापढी सम्पादित की। वादग्रस्त आराजीयात पर निरन्तर निर्विवाद रूप से कब्जा मुझ प्रार्थी का ही है अन्य किसी भी व्यक्ति का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है तथा उक्त भूमि पर खेती का समस्त कार्य मुझ प्रार्थी द्वारा ही किया जा रहा है। विपक्षीगण का यह कथन कि वर्तमान समय में भूमि के दाम अत्यधिक बढ जाने से प्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गयी है इस कथन का जवाब यह है कि यदि प्रार्थी चाहता तो उक्त भूमि को कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित कर सकता था। प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह सही किया हैं। जब मरहूम इस्माईल खां जी का अथवा उनके वारिसान का कब्जा वादग्रस्त आराजीयात पर या उसके किसी भी भाग पर कभी रहा ही नहीं है तो विपक्षी पक्ष का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार होने का तथ्य सर्वथा गलत होकर अस्वीकार हैं। जब प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.1974 को किसी प्रकार की कोई लिखापढी की ही नहीं गई है तो सभी व्यक्ति का अलग अलग काबिज होने का कथन निराधार एवं गलत हैं। प्रार्थी ही वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता आ रहा हैं। विपक्षीगण माननीय न्यायालय से मुझ प्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई भी दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

19. यह कि कोई भी बिनाय वाद काउन्टर क्लेम मुझ प्रार्थी के विरूद्व पैदा नहीं हुई हैं। वादग्रस्त आराजीयात मुझ प्रार्थी की खातेदारी की है और उस पर कब्जा भी मुझ प्रार्थी का ही है और मैं प्रार्थी समय समय पर उक्त भूमि पर फसलों की बुवाई व कटाई करता आ रहा है। इसलिए सुविधा संतुलन [illegible] क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

में हैं और प्रथम दृष्टया मामला भी मुझ प्रार्थी का ही हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से मैं प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाऊंगा जिससे मुझ प्रार्थी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण ने मुझ प्रार्थी को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से व मेरे खाते की कृषि भूमि को हडपने की नियत से उक्त कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर काउन्टर क्लेम पेश किया जिसमें विपक्षीगण कभी सफल नहीं होने वाले हैं। विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम, विशेष कथन मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

20. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा अपनी बहस में जवाब व काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

21. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड होकर इसका उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में हमारे पिता के समय आपसी पांती बंटवाडा हो चुका है जिसकी लिखापढी कर रखी है प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज है परन्तु उभय पक्षकारान के मध्य स्पष्टयता कब्जे को लेकर विवाद है चूंकि विपक्षीगण द्वारा आपसी पांती बंटवाडा में वादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण को दिया जाना बताया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है परन्तु पारिवारिक आपसी पांती बंटवाडा में वादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण को दिया जाना बताया है इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद है। यदि उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद होने की प्रबल सम्भावना प्रतीत होती हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

22. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का मैं एकमात्र स्वामी हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है। वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर मेरी खातेदारी की आराजीयात में दखलन्दाजी कर रहे है जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं होने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया वादग्रस्त भूमि पारिवारिक आपसी बंटवाडे से विपक्षीगण को दी गई है जिस पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं होने का कथन कर विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 की खाता संख्या 183 पर दर्ज आराजी नम्बर 442 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा भी जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को पाबंद करवाना चाहते हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। चूंकि पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

से अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उभय पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है यदि उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी तथा इससे उभय पक्षकारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 24.04.2009 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित हुए हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061—64 की खाता संख्या 183 पर दर्ज आराजी नम्बर 442 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि की मौके की यथास्थिति बनाए रखे। एक दूसरे के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें। साथ ही प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर यदि कब्जा विपक्षीगण का है तो उन्हे बेदखल करने का प्रयास नहीं करें एवं यदि कब्जा प्रार्थी का है तो विपक्षीगण उन्हे बेदखल करने का प्रयास नहीं करे। उसके लिए पृथक से सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली